न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 75/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/100)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. गगनदीप सिंह पुत्र कुलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।	1. अमितोज सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. रविन्द्र कौर पत्नी बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 3. तनवीर कौर पुत्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 4. रवनीत कौर पुत्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 5. कुलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। 6. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 7. नरेन्द्रपाल कौर पत्नी गगनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.04.2025

उपस्थितः1.श्री दीपक कुमार अधिवक्ता वादी
2.श्री विनय कुमार गर्ग अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3.श्री दलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 7

दिनांक :06.10.2025

—निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 25 प्रत्येक के 0.253 हैक्टेयर कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी भूमि में वादी के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि व मृतक बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम 1.923 हैक्टेयर भूमि तथा प्रतिवादी कुलवीर सिंह के नाम 3.137 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का पिता कुलवीर सिंह व मृतक बलदेव सिंह सगे भाई होने के नाते शुरू से ही वादी के दादा महेन्द्र सिंह के साथ अविभक्त संयुक्त कुटम्ब में एक साथ निवासरत रहे है। वादी व वादी के पूर्वजो का मुख्य धन्धा कृषि है। हमारे अविभक्त संयुक्त कुटुम्ब द्वारा हमारी भूमि की सांझा काश्त शुरू से की जाती रही है तथा संयुक्त काश्त की आय से वादी के पूर्वज समय-समय पर कृषि भूमि अर्जित/खरीद करते रहे है और वादी के पूर्वजों द्वारा सामान्य संव्यवहार के तहत अर्जितशुदा भूमि परिवार के कभी किसी सदस्य के नाम तो कभी किसी सदस्य के नाम दर्ज करवा दी जाती रही है। जैसे-जैसे समय के साथ-साथ परिवारो में बढोतरी हुई वैसे-वैसे ही संयुक्त परिवार टुकडो में बंटने लगे और भूमि की काश्त की सहुलियत के हिसाब से दूरी नजदीकी को देखते हुए तथा खाला व रास्ता को देखते हुए तथा अच्छी बुरी भूमि को देखते हुए हमारे पारिवारिक सदस्यों द्वारा अपने-अपने हिस्सा की भूमि काश्त की सहुलियत के हिसाब से बांट कर भूमि पर काबिज काश्त हो गये तथा जो आज तक चले आ रहे है। चक 7 ओ का मुरब्बा नम्बर 7 सालम वादी व वादी के परिवार के हिस्सा में आया, जिसके बदले में चक 7 ओ के मुरब्बा नम्बर 9 सालम बलदेव सिंह व उसके परिवार को बंटवारा में आ गया। वादगत भूमि मुरब्बा नम्बर 7 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से 3.137 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 5 कुलवीर सिंह के नाम पहले से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा 1.265 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, शेष 1.923 हैक्टेयर भूमि मृतक बलदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। बलदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात् उक्त 1.923 हैक्टेयर भूमि मृतक के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 4 में निहित हो चुकी है। वाहमी बंटवारा की रूह से उक्त मुरब्बा नम्बर 7 पर वादी व वादी के परिवार की काश्त है तथा उक्त भूमि के बदले में चक 7 ओ का मुरब्बा नम्बर 9 सालम बलदेव सिंह व उसके परिवार को सौंपा हुआ है, जिस पर ताजीवन बलदेव सिंह की काश्त रही है तथा बलदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात् बलदेव सिंह के जायज व कानून वारिस होने के नाते प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की मुरब्बा नम्बर 9 पर काश्त चली आ रही है। मृतक बलदेव सिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 22.12.2024 को रूबरू गवाहान वादगत भूमि का बंटवारा/समझौता कर पंचायती समझौता पत्र निष्पादित करवा लिया। उक्त समझौता पत्र से सहमत होने बाबत् मृतक बलदेव सिंह के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 अमितोज सिंह द्वारा भी उक्त समझौतानामा से सहमत होकर उक्त समझौता पत्र पर अपने हस्ताक्षर बतौर सहमति किए गए। समझौता पत्र/बंटवारानामा दिनांक 22.12.2014 में यह शर्त तय पाई गई कि बलदेव सिंह के नाम चक 7 ओ के

उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

मुरब्बा नम्बर 7 में 1.923 हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिस पर गगनदीप सिंह का कब्जा है, जब इस भूमि पर बलदेव सिंह, गगनदीप सिंह को लिमिट बनाकर देगा, तो गगनदीप सिंह, बलदेव सिंह को नकद 2 लाख रूपये अदा करेगा तथा रामदत सेठ की आढत पर जो 4 लाख रूपये मैने कर्ज लिये है, वह गगनदीप सिंह लौटायेगा। समझौतानामा की शर्तो की पालना में गगनदीप सिंह ने दिनांक 01.02.2015 को बलदेव सिंह को दो लाख रूपये नकद अदा कर दिये और गगनदीप सिंह ने चार लाख रूपये रामदत सेठ की आढत पर जमा करवा दिये और बलदेव सिंह द्वारा इस आश्य की तहरीर भी समझौता पत्र पर रूबरू गवाहान दर्ज करवा दी। बलदेव सिंह ने उक्त तहरीर में यह भी दर्ज करवाया कि अब यदि गगनदीप सिंह मेरे नाम दर्ज चक 7 ओ के मु0नं0 7 की 1.923 है0 भूमि अपने नाम दर्ज करवाता है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। चूंकि यह भूमि गगनदीप सिंह की है और गगनदीप सिंह को ही बंटवारा में मिली है। अप्रैल 2022 में बलदेव सिंह की मृत्यु हो गई। बलदेव सिंह की मृत्यु के पश्चात् वादी पंचायती व्यक्तियों को तथा समझौतानामा के गवाहो को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से सम्पर्क करके कहता रहा है कि मैने तो समझौतानामा की शर्तो के अनुसार तमाम रूपयों की अदायगी शर्तो के अनुसार कर दी है तथा चक 7 ओ के मुरब्बा नम्बर 9 सालम की भूमि भी आपको देकर कब्जा भी आपको सौंपा हुआ है। अब आप मुताबिक बंटवारा मेरा हिस्सा की चक 7 ओ के मुरब्बा नम्बर 7 की 1.923 हैक्टेयर भूमि मेरे नाम दर्ज करवा देवे, तब प्रतिवादीगण द्वारा कहा गया कि हमारी पुत्री तनवीर कौर विदेश में रह रही है, वह जैसे ही भारत आयेगी, तब हम उक्त 1.923 है0 भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाकर भूमि आपके नाम करवा देगे। प्रतिवादीगण द्वारा साथ में यह भी कहा गया कि समझौता पत्र दिनांक 22.12.2014 का हमें भली भांति ज्ञात है, अमितोज सिंह ने समझौता पत्र पर सहमति बाबत् अपने हस्ताक्षर भी किये है, इसलिए जल्द ही हम उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करवाकर आपके नाम भूमि दर्ज करवा देगे। वादी भी अश्वस्त था कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उसके सगे संबंधी है, इसलिए वादी को प्रतिवादीगण पर विश्वास भी था। दिनांक 20.03.2025 को जब तनवीर कौर विदेश से भारत आई हुई थी, तो वादी, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 से मिला और बंटवारा के मुताबिक वादगत 1.923 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करवानें हेतु उनसे कहा तो वह कहने लगा कि अब भूमि कीमतों में काफी वृद्धि हो चुकी है, इसलिए आपके हिस्सा की उक्त भूमि हम आपके नाम दर्ज नहीं करवायेगे। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 ओ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 ता 2077 के खाता संख्या 8/8 के मु0नं0 7 की कुल 6.325 है0 भूमि में से बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.923 है0 भूमि समझौता पत्र दिनांक 22.12.2014 की रूह से बलदेव सिंह के नाम कलमजन की जाकर वादी के नाम खातेदारी घोषित किया जाकर वादी के नाम अलग से खाता कायम किये जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार वादी का दावा डिक्री फरमाया जाता है, तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादी गगनदीप सिंह व प्रतिवादीगण अमितोज सिंह, रविन्द्र कौर, कुलवीर सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। दोनों पक्षों की पहचान उनके अधिवक्तागण के द्वारा की गई। दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार मृतक बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम राजस्व ग्राम 7 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/08 में दर्ज 1.932 हैक्टेयर भूमि का वादी गगनदीप सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है, तो हम वादी व प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में दोनो पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी व प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी व प्रतिवादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि मृतक बलदेव सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के नाम राजस्व ग्राम 7 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं प्र.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/08 में दर्ज 1.932 हैक्टेयर भूमि का वादी गगनदीप सिंह पुत्र कुलवीर सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है और राजस्व ग्राम 7 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से हिस्से माफिक भूमि का वादी गगनदीप सिंह पुत्र कुलवीर सिंह के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** प्रार्थी नरेन्द्रपाल कौर पत्नी गगनदीप सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बराड के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अनापत्ति जाहिर की। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी नरेन्द्रपाल कौर को प्रतिवादी संख्या 7 के रूप में संयोजित किया गया। वादी गगनदीप सिंह व प्रतिवादी संख्या 5, 7 के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर विभाजन प्रस्ताव इन्तजार बन्द किया गया।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक राजीनामा, वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। बहस अधिवक्तागण, उभयपक्ष राजीनामा पर गौर किया। लिहाजा माफिक राजीनामा वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी इस अमर की जारी की जाती है। कि राजस्व ग्राम 7 ओ, पटवार हल्का लखियां, भू.अ.नि.क्षेत्र लखियां की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में से वादी व प्रतिवादी संख्या 5, 7 के हिस्से का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.		रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	गगनदीप सिंह पुत्र कुलवीर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (1.923 हैक्टेयर)	7 ओ	7	18 19 ता 25	0.152 हैक्टेयर 1.518 हैक्टेयर	नहरी नहरी	1.26 12.60
	कुलवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर। (3.137 हैक्टेयर)	7 ओ	7	6 ता 17 18	3.036 हैक्टेयर 0.101 हैक्टेयर	नहरी नहरी	25.20 0.84
	नरेन्द्रपाल कौर पत्नी गगनदीप सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 7 ओ तहसील श्रीकरनपुर जिला श्रीगंगानगर।(1.265 हैक्टेयर)	7 ओ	7	1 ता 5	1.265 हैक्टेयर	नहरी	10.50

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर